(9) इस न्यायालय की राय में, 'अविश्वास प्रस्ताव' अगले दो वर्षों के भीतर पेश नहीं किया जा सकता है यदि पहले 'अविश्वास प्रस्ताव' खो जाता है।वर्तमान मामले में, 'अविश्वास प्रस्ताव' को अवैध माना जाता है, इसलिए, नया कानूनी नोटिस जारी किया जा सकता है और वर्तमान मामले में परंतुक का कोई आवेदन नहीं है।

(10) पंजाब के विद्वान उप महाधिवक्ता के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिएओं के वकील संख्या 5 से 7 द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है।हालांकि, प्रतिवादी को 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने के लिए नए सिरे से नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता होगी।

एम. जैन

जितेंद्र चौहान से पहले, जे.

शांति प्रकाश,-अपीलार्थी

बनाम

ओम प्रकाश-1984 का उत्तरदाता आर. एस. ए. No.2475

27 मई, 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O. 20,41 Rl.20,27 और S. 2 (2), 100-पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम-S. 158 (2) (xvii)-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989-Art.45 Sch.1-अभियोक्ता आधे हिस्से की सीमा तक मुकदमा संपत्ति में सह-हिस्सेदार है-अन्य सह-हिस्सेदार द्वारा बिक्री-क्या अभियोक्ता को पूर्व-खाली संपत्ति का अधिकार है जो मेट्स एंड बाउंड्स द्वारा विभाजित नहीं है-सह-हिस्सेदार होने के नाते, अभियोक्ता को पूर्व-खाली करने का अधिकार है-कोई सबूत संपत्ति शहरी क्षेत्र में नहीं आती है-पंजाब पूर्व-छूट अधिनियम लागू-कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-अपील खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक अंतिम विभाजन सीमा और सीमा द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति बनी रहती है और सह-हिस्सेदार होने के नाते अभियोक्ता को बिक्री-विलेख को पूर्व-खाली करने का अधिकार था।

(पैरा 20)

शांति प्रकाश बनाम ओम प्रकाश

(जितेंद्र चौहान, जे.)

इसके अलावा कहा गया कि यह साबित करने के लिए कोई सरकारी अधिसूचना रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है कि संपत्ति शहरी क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है।इस संबंध में किसी भी सकारात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में में, यह न्यायालय यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि संपत्ति शहरी क्षेत्र के भीतर आती है। इसलिए, यह माना जाता है कि पंजाब पूर्व-मुक्ति अधिनियम विवादित भूमि पर लागू होता है।(पैरा 21)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी तलवार।हरकेश मनुजा, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

जितेंद्र चौहान, जे।

(1) वर्तमान अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित 23.08.1984 दिनांकित निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उप न्यायाधीश, I वर्ग, अंबाला शहर द्वारा पारित 30.11.1982 दिनांकित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील, अभियोक्ता, ओम प्रकाश के मुकदमे को पूर्व-छूट के रूप में संपत्ति में 1/2 हिस्से की सीमा तक कब्जा करने के लिए, जैसा कि शिकायत के मुख्य ध्यान दें में पूरी तरह से विस्तृत है, खारिज कर दिया गया था।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ओम प्रकाश, अभियोक्ता, और अहलूवालिया पंचायत, विक्रेता, प्रत्येक 1⁄2 शेयर की सीमा तक मुकदमा संपत्ति के सह-हिस्सेदार थे, समझौता डिक्री, प्रदर्शनी पी 5, दिनांक 3.3.1979 के अनुसार।अहलूवालिया पंचायत ने दुकान सहित संपत्ति को 9,000/- रुपये में बेच दिया, पंजीकृत बिक्री विलेख, प्रदर्शनी डी. 4, दिनांक 21.7.1980 के माध्यम से।यह आरोप लगाया जाता है कि अभियोक्ता संपत्ति में सह-हिस्सेदार होने के नाते बिक्री को पूर्व-खाली करने का हकदार है, जिसे सीमा और सीमा द्वारा विभाजित नहीं किया गया था और अभी भी एक संयुक्त संपत्ति थी।

(3) प्रतिअभियोक्ता शांति प्रकाश, वेंडी ने इस आधार पर मुकदमे का विरोध किया कि विक्रेता संपत्ति का पूर्ण स्वामी था; अभियोक्ता संपत्ति में सह-भागीदार नहीं है; यह एक शहर में स्थित एक शहरी संपत्ति है, जहां पंजाब पूर्व-मुक्ति अधिनियम लागू नहीं है।यह आगे अनुरोध किया गया कि मुकदमा समय के भीतर नहीं है; विक्रेता, प्रतिवादी ने संपत्ति में भौतिक सुधार किए हैं और मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

(4) पक्षकारों की दलीलों से निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गएः-

(i) क्या अभियोक्ता मुकदमे की संपत्ति को पूर्व-खाली करने का हकदार है, यदि ऐसा है, तो किस आधार पर? ओपीपी

((ii) अभियोक्ता द्वारा पूर्व-खाली की गई संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है।यदि हां, तो कितनी राशि?ओपीडी

((iii) क्या बिक्री विलेख में शामिल गैर-पूर्व-खाली संपत्ति बिक्री विलेख में दिखाए गए मूल्य से अधिक है?ओपीडी

((iv) क्या प्रतिवादी पंजीकरण आदि की लागत का हकदार है। यदि हां, तो कितनी राशि?ओपीडी

(v) क्या मुकदमा समय के भीतर है?ओ. पी. पी. क्या प्रतिमुकदमी ने मुक़दमे की संपत्ति में सुधार किया है।यदि हाँ, तो किस प्रकृति का और किस प्रकृति का और किस राशि का और किस प्रभाव का?ओपीडी

(vi) राहत।

(5) विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोक्ता के मुकदमा में मुद्दा संख्या 1 का निर्णय देते हुए कहा कि अभियोक्ता मुकदमे की संपत्ति का एक तिहाई हिस्से तक सह-मालिक था और संपत्ति शहरी संपत्ति नहीं है।विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में मामले संख्या 2 और 3 का निर्णय देते हुए कहा कि विवादग्रस्त दुकान का बाजार मूल्य 5,000/- रुपये है।विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में मुद्दा संख्या 4 का फैसला करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने Rs.625-स्टाम्प शुल्क के रूप में, Rs.185-पंजीकरण शुल्क के रूप में और Rs.20-विविध परिवर्तनों के रूप में खर्च किया था, जिसे वह प्राप्त करने का हकदार है।मुद्दा संख्या 5 का निर्णय करते समय, मुकदमा को समय के भीतर माना गया था।मुद्दा संख्या 6 के तहत, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिमुकदमी मुकदमे की संपत्ति के सुधार पर खर्च किए गए किसी भी धन को साबित नहीं कर सका। जारी किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, विद्वत उप न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, अंबाला ने निर्णय और डिक्री दिनांक 30.11.1982 के माध्यम से, अभियोक्ता के मुकदमे को संपत्ति में एक तिहाई हिस्से की पूर्व-छूट के माध्यम से कब्जा करने का फैसला सुनाया, जैसा कि निर्णय और डिक्री-शीट में पूरी तरह से वर्णित है।

(6) उसी के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष अपील की, जिसे भी खारिज कर दिया गया।

1007

शांति प्रकाश बनाम ओम प्रकाश

(जितेंद्र चौहान, जे.)

(7) नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होकर, प्रतिवादी ने इस अपील को प्राथमिकता दी, जिसे 26.4.1985 पर स्वीकार किया गया था।(8) अपीलकर्ता का विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि अभियोक्ता खुद को बाड़े ('बारा') और विवादग्रस्त घर में सह-हिस्सेदार साबित करने में विफल रहा है।उन्होंने कहा कि श्रीमती जतान सुंदर लाल की विधवा थीं, जिन्होंने सुंदर लाल की मृत्यु के बाद अभियोक्ता ओम प्रकाश को बेटे के रूप में गोद लिया था।बाद में श्रीमती जतान ने पूरी संपत्ति यानी 361 कनाल 10 मरला की कृषि भूमि, एक बाड़े ('बारा') और तीन दुकानें और एक घर पंचायत अहलूवालिया अंबाला शहर को उपहार में दिया।

ओम प्रकाश ने इस उपहार को दीवानी अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर करके चुनौती दी, जिसका फैसला सुनाया गया।अपील में, अंबाला और ओम प्रकाश में अहलूवालिया पंचायत के बीच एक समझौता किया गया था, जिसमें ओम प्रकाश को संपत्ति में से 1⁄2 हिस्सा दिया गया था, जिसमें सहमति निर्णय Ex.P.4 दिनांक 3.3.1979 और डिक्री, Ex.P.5, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला शहर द्वारा 1972 के सिविल अप्पल No.319/13 में पारित किया गया था।इस प्रकार पक्षकारों के कथन 'प्रदर्शनी पी. 6' के आधार पर क्रमशः पारित निर्णय और डिक्री, 'आई. डी. 2' और 'आई. डी. 1' के आधार पर अहलूवालिया पंचायत और 'ओम प्रकाश' का सह-हिस्सेदार होना समाप्त हो गया।इसे उल्का और सीमा द्वारा विभाजित किया गया था और ओम प्रकाश के हिस्से में आने वाला पक्ष निर्दिष्ट किया गया था।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि रामगढ़, जहाँ संपत्ति स्थित है, एक शहर है न कि एक गाँव, जहाँ पूर्व-मुक्ति का अधिकार उपलब्ध नहीं है।वकील आगे प्रस्तुत करता है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है।अंत में, वह प्रस्तुत करता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णय और फरमान कानून और तथ्यों के खिलाफ हैं, और इस प्रकार, उन्हें दरकिनार किया जा सकता है।

(9) दूसरी ओर, प्रतिवादी का विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि इस मामले में निर्धारण के लिए 'कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न' उत्पन्न नहीं होता है और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णय और फरमान साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर कानूनी और सही हैं।

(10) दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कियाः-

1. क्या नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने आदेश पारित करने में गलती की है, जो रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों से परे हैं, क्योंकि प्रतिवादी-वादी ओम प्रकाश ने पहले ही संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया था, यानी रामगढ़ आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा गांव में स्थित बारा का अपना हिस्सा।

तीसरे पक्ष यानी खैरू के बेटे नसीरू और रूलिया के बेटे बनारसी और इस प्रकार, 21.7.1980 पर निष्पादित बिक्री विलेख के संबंध में पूर्व-खाली अधिकार के लिए नहीं कह सकते थे?2. क्या पक्षकारों के बीच संपत्ति का विभाजन दिनांक 1 के निर्णय और डिक्री के अनुसार किया गया था और इस प्रकार संपत्ति अब एक संयुक्त संपत्ति नहीं थी और वादी-प्रतिवादी के पास कोई पूर्व-खाली अधिकार नहीं था?

3. क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में स्थित है और इस प्रकार किसी पूर्व-खाली अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है?

4. क्या नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और फरमान विकृत हैं, जो अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं?

5. क्या निर्णय और फरमान, जो वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर करने के बाद सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा पारित किए गए हैं, वर्तमान अपील के न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय के लिए रिकॉर्ड पर लिए जाने योग्य हैं?(11) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य को ध्यान द्वारा देखा है।

(12) मैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को लेने का प्रस्ताव करता हूं।Ex.D.5 वह सेल डीड है, जो दिनांकित 8.12.1972 है, जिसे ओम प्रकाश ने एक नसीरू और बनारसी के पक्ष में, बाड़े ('बारा') में 1⁄2 हिस्से की

बिक्री के संबंध में निष्पादित किया था। Ex. डी7 एक बंधक विलेख है, जिसे ओम प्रकाश ने दुकान के संबंध में लखमी सिंह के पक्ष में निष्पादित किया था। अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई बल नहीं है कि यह बिंदु इस नियमित दूसरी अपील में पहली बार उठाया जा रहा है। अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान के अवलोकन और प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष पहली अपील में की गई अपील के आधार से पता चलेगा कि इसमें ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी। दस्तावेज़ Ex.D.5 और Ex.D7 लिखित बयान दाखिल करने के समय से ही मौजूद थे। यह न्यायालय वर्तमान अपील में पक्षों की दलीलों से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए, यह न्यायालय महसूस करता है कि इस याचिका पर विचार करने के लिए कोई प्रशंसनीय आधार नहीं है, जिसे इस पीठ के समक्ष दूसरी अपील के चरण में उठाया गया है, जबकि इसे पहले के चरण में भी लिया जा सकता था।

1009

शांति प्रकाश बनाम ओम प्रकाश

(जितेंद्र चौहान, जे.)

(13) दूसरा सवाल यह है कि क्या संपत्ति विभाजित थी जैसा कि निर्णय और डिक्री, Ex.P4 और Ex.P5 में दर्ज है और अब एक संयुक्त संपत्ति नहीं है। पीडब्लू1, ओम प्रकाश; पीडब्लू3 लाल चंद; डीडब्लू2 गुरबचन सिंह और डीडब्लू1 राज कुमार, अहलूवालिया पंचायत के अध्यक्ष के बयानों में आया है कि संपत्ति अभी भी संयुक्त है। केवल 1/2 की सीमा तक अभियोक्ता के शेयरों का निर्धारण पक्षों द्वारा समझौते के माध्यम से किया गया था, जिसके आधार पर सहमति निर्णय Ex.P.4 और डिक्री Ex.P.5 पारित किए गए थे। केवल वे शेयर, जो प्रत्येक पक्ष को वास्तविक विभाजन पर मिलेंगे, निर्दिष्ट किए गए थे और इसे मेट्स और बाउंड्री द्वारा विभाजित नहीं किया गया था। दीवानी अदालत कृषि भूमि में स्वामित्व और हिस्से की सीमा के संबंध में स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय ले सकती है, लेकिन कृषि भूमि के विभाजन को पूरा करने का अधिकार क्षेत्र, जिसे राजस्व प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाना है, विशेष रूप से पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की खंड 158 (2) (xvii) के तहत सीमित है, जो निम्नानुसार हैः-

“158(2)(xvii) किसी संपत्ति के विभाजन, धारण या किरायेदारी या विभाजन की कार्यवाही से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न के लिए कोई दावा, जिसमें किसी भी संपत्ति के स्वामित्व के बारे में प्रश्न नहीं है, जिसके विभाजन की मांग की जाती है।”

(14) जग्गा सिंह बनाम सुरजीत सिंह और अन्य (1) में, यह था

अभिनिर्धारित किया कि दीवानी न्यायालय निर्धारित भूमि को भूमि राजस्व में विभाजित नहीं कर सकता है। भूमि राजस्व के लिए निर्धारित भूमि का विभाजन केवल राजस्व अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। (15) अधिक से अधिक, निर्णय Ex.P.4 और डिक्री शीट Ex.P.5 को पक्षों के शेयरों का निर्धारण करने वाली 'प्रारंभिक डिक्री' कहा जा सकता है। (16) 'डिक्री' शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की खंड 2 (2) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "

“डिक्री "से किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने के संबंध में है, वाद में विवादग्रस्त सभी या किसी भी मामले के संबंध में मुकदमों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारण करती है और या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है, यह माना जाएगा कि इसमें वाद की अस्वीकृति और खंड 144 के भीतर किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा -

((क) कोई निर्णय जिसमें से कोई अपील किसी आदेश की अपील के रूप में होती है, या

(ख) चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश

स्पष्टीकरण-एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमा को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है।यह अंतिम होता है जब इस तरह का निर्णय मुकदमा का पूरी तरह से निपटारा करता है।यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है।"

(17) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX नियम 20 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"18. संपत्ति के विभाजन या उसमें किसी हिस्से के अलग कब्जे के लिए मुकदमा में डिक्री -

जहां न्यायालय संपत्ति के विभाजन के लिए या उसमें किसी हिस्से के अलग कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है, तो-(1) यदि और जहां तक डिक्री सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए मूल्यांकन की गई संपत्ति से संबंधित है, तो डिक्री संपत्ति में रुचि रखने वाले कई पक्षों के अधिकारों की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसी घोषणा के अनुसार और खंड 54 के प्रावधानों के अनुसार, कलेक्टर या उनके द्वारा इस संबंध में प्रतिनियुक्त कलेक्टर के किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा किए जाने वाले विभाजन या विभाजन का निर्देश देगी।

(2) यदि और जहाँ तक ऐसी डिक्री किसी अचल संपत्ति या चल संपत्ति से संबंधित है, न्यायालय, यदि आगे की जांच के बिना विभाजन या अलगाव सुविधाजनक रूप से नहीं किया जा सकता है, तो संपत्ति में रुचि रखने वाले कई पक्षों के अधिकारों की घोषणा करते हुए एक प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है और ऐसे आगे के निर्देश दे सकता है जिनकी आवश्यकता हो।

(18) भूमि राजस्व के लिए निर्धारित भूमि में अधिकारों की घोषणा के बाद, पक्षों को पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत सीमा द्वारा विभाजन के माध्यम से अपने-अपने शेयरों को अलग करने के लिए राजस्व अदालत जाना पड़ता है। समझौते Ex.P.6 में किसी भी पक्ष को कोई विशिष्ट क्षेत्र आवंटित या निर्धारित नहीं किया गया था। समझौता Ex.P.6 के साथ कोई योजना संलग्न नहीं थी।डिक्री Ex.P.5 को विभाजन का साधन नहीं कहा जा सकता है।1011 को अलग करते हुए अंतिम फरमान पारित होने के बाद विभाजन का दस्तावेज तैयार किया जाता है।

शांति प्रकाश बनाम ओम प्रकाश

(जितेंद्र चौहान, जे.)

दलों के शेयर।भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अनुच्छेद 45, अनुसूची 1 निम्नानुसार हैः-

"विभाजन उपकरण (एस 2 (15) द्वारा परिभाषित के रूप में।अलग किए गए शेयर या संपत्ति के शेयरों के मूल्य की राशि के लिए बांड (No.15) के रूप में स्टाम्प शुल्क।"

"2(15) "विभाजन के लिखत का अर्थ है कोई भी लिखत जिसके द्वारा किसी संपत्ति के सह-मालिक ऐसी संपत्ति को विभाजित करते हैं या कई प्रकार से विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं, और इसमें भूमि राजस्व प्राधिकरण या किसी दीवानी अदालत द्वारा पारित विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए अंतिम आदेश और विभाजन का निर्देश देने वाले मध्यस्थ द्वारा एक निर्णय भी शामिल है।"

(19) इसके अलावा, भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 45 को देखते हुए दीवानी अदालत द्वारा दिए गए विभाजन के आदेश पर पर्याप्त रूप से मुहर लगाने की आवश्यकता थी, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया था।यह वहाँ किया जाता है जहाँ 'अंतिम फरमान' पारित किया जाता है।

(20) प्रश्न संख्या 2 को संबोधित करते हुए, इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब तक अंतिम विभाजन सीमा द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति बनी रहती है और सह-हिस्सेदार होने के नाते अभियोक्ता को बिक्री-विलेख, Ex.D.4 को पूर्व-खाली करने का अधिकार था।

(21) तीसरा सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में स्थित है और इस प्रकार उस क्षेत्र के भीतर किसी भी पूर्व-खाली अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।इस तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी डी. डब्ल्यू. 3, दशहरा लाल और डी. डब्ल्यू. 4 ओम प्रकाश पर थी।इन दोनों गवाहों ने गवाही दी कि विवादित संपत्ति ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र में स्थित है।यह साबित करने के लिए कोई सरकारी अधिसूचना रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है कि संपत्ति शहरी क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है।इस संबंध में किसी भी सकारात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, यह न्यायालय यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि संपत्ति शहरी क्षेत्र के भीतर आती है।इसलिए, यह माना जाता है कि पंजाब पूर्व-मुक्ति अधिनियम विवादित भूमि पर लागू होता है।

(22) अब अंक संख्या 4 पर आते हैं।पूरे अभिलेख को देखने के बाद, यह माना जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णय और फरमान अच्छी तरह द्वारा तर्कपूर्ण हैं।इस न्यायालय को कोई विकृति नहीं मिलती है। निर्णय साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित होता है।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।माननीय।

मदन नायर बनाम भास्कर पिल्लई (2) में उच्चतम न्यायालय,

(2) 2005 (10) एस. सी. सी. 533 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(1)

1012

अमरजीत सिंह बनाम अमरीक सिंह (3), एच. पी. प्यारेजा बनाम दसप्पा (4), और गुरदेव कौर और अन्य बनाम काकी और अन्य (5), जबकि

सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 100 के दायरे की व्याख्या करते हुए, कानून के इस सिद्धांत को निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो निचली अदालत और पहली अपील न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, भले ही वे पूरी तरह से गलत हों, क्योंकि विधायी इरादा बहुत स्पष्ट था कि विधायिका कभी भी दूसरी अपील को "तथ्यों पर तीसरा परीक्षण" या "जुआ में एक और पासा" नहीं बनाना चाहती थी।" यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि निम्न न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुनवाई तक ही सीमित है।(23) अंतिम प्रश्न पर आते हुए कि क्या यह न्यायालय सिविल न्यायाधीश (Jr.Divn) द्वारा पारित 30.4.1997 और 10.12.1999 दिनांकित निर्णयों और फरमानों को रिकॉर्ड पर ले सकता है।और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जो बाद के निर्णय हैं।आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के तहत इस न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया कि इन निर्णयों की वर्तमान विवाद से कोई प्रासंगिकता नहीं है।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अभियोक्ता ने ओम प्रकाश द्वारा नसीरू और बनारसी दास के पक्ष में की गई दिनांकित बिक्री के भौतिक तथ्य को छिपाने की कोशिश की है, कोई लाभ

नहीं है।पक्षकार दिनांकित 8.12.1972 के बिक्री-विलेख की बिक्री और प्रमाणित प्रति के बारे में पूरी तरह से अवगत थे और उससे जुड़ी योजना पहले से ही क्रमशः Ex.D5 और Ex.D6 के रूप में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में थी।उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय और फरमान जो प्रस्तुत किए जाने की मांग की गई है, केवल बिक्री-विलेख, Ex.D5 की वैधता से संबंधित हैं।पूर्व-मुक्ति का अधिकार बिक्री की तारीख को देखा जाना है न कि मुकदमा दायर करने की तारीख को।इसलिए, बाद के निर्णयों और फरमानों की वर्तमान नियमित दूसरी अपील में उठाए गए मुद्दों को तय करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।नीचे दिए गए दोनों न्यायालय पहले ही दिनांकित 8.12.1972, Ex.D5 की बिक्री के प्रभाव पर विचार कर चुके हैं।

(24) ऊपर बताई गई परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और बिना किसी लागत के खारिज कर दी जाती है।निम्नलिखित न्यायालयों के विवादित निर्णयों और फरमानों की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

ए. एग्ग।

(3) 2005 (12) एस. सी. सी 270

(4) एआईआर 2006 एससी 1144:(2006) 2 एससीसी 496 (5) जे. टी. 2006 (5) एस. सी. 72

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur